



टी बोर्ड भारत Tea Board India

14, बी.टी.एम सरणी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता 700 001

14, B.T.M Sarani (Brabourne Road) Kolkata 700 001

www.teaboard.gov.in

संदर्भ सं. 6(29)/एलसी/ नीलामी/अपशिष्ट चाय/2024/1043

दिनांक: 27.08.2025

परिपत्र

विषय: 30.06.2025 से आगे छह महीने की अवधि के लिए 100% अपशिष्ट चाय नीलामी के लिए संशोधित एसओपी

100% अपशिष्ट चाय नीलामी पहल के कार्यान्वयन के लिए परिपत्र संदर्भ सं. 6(29)/एलसी/नीलामी/अपशिष्ट चाय/2024/893 दिनांक 02.05.2025 के माध्यम से प्रसारित संशोधित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और 30 जून, 2025 से आगे छह (06) महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए पहल को जारी रखने की अधिसूचना जारी करने वाले आदेश संदर्भ सं. 1014 दिनांक 25.07.2025 का संदर्भ आमंत्रित किया गया है।

विस्तारित अवधि के दौरान उपरोक्त पहल के कार्यान्वयन के लिए, दिनांक 02.05.2025 के एसओपी के सभी प्रावधान लागू रहेंगे, बिंदु संख्या 1 और 8 को छोड़कर, जिन्हें पहल की परिचालन प्रभावशीलता में और सुधार करने के लिए निम्नानुसार संशोधित किया गया है।

30 जून, 2025 के बाद फैक्ट्री गेट पास की तारीख वाले सभी अपशिष्ट चाय राजपत्र अधिसूचना सं. एस.ओ.845(ई) दिनांक 23.02.2024 और बोर्ड द्वारा जारी आदेश संदर्भ सं. 6(29)/एलसी/नीलामी/अपशिष्ट चाय/2024/1014 दिनांक 25 जुलाई, 2025 के अनुसार अनिवार्य नीलामी के दायरे में आएंगे।

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के अनुच्छेद 28(1) के अनुसार, कोई भी निर्माता ऐसी चाय का निर्माण नहीं करेगा जो समय-समय पर संशोधित खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 या वर्तमान में लागू किसी अन्य नियम के तहत निर्धारित विनिदेशों के अनुरूप न हो। इसलिए, एफएसएसआई द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन न करने वाली चाय को बिक्री की तिथि से पहले नीलामी से वापस ले लिया जाएगा और इसकी सूचना ब्रोकरों द्वारा टी बोर्ड को दी जाएगी। ऐसी चाय के विक्रेताओं को मौजूदा प्रथा के अनुसार, दूषित चाय को नष्ट करने के लिए बोर्ड से संपर्क करना होगा।

सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र की विषय-वस्तु को आवश्यक अनुपालन हेतु अपने सदस्यों के ध्यान में लाएं।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया।

रजनीगंधा सील नस्कर

(रजनीगंधा सील नस्कर)

अनुज्ञापन नियंत्रक

वितरण: (अगले पृष्ठ पर)

वितरण :

1.	सभी चाय उत्पादक संघ	अपने सदस्यों के बीच सूचना एवं प्रसार हेतु
2.	सभी क्रेता संघ	
3.	सभी चाय निर्यातक संघ	
4.	सभी पंजीकृत नीलामी आयोजक	
5.	चाय नीलामीकर्ताओं का संघ (एटीए)	
6.	सभी भांडागार संघ	
7.	सभी लघु चाय उत्पादक संघ	
8.	समिति सदस्यगण	सूचनार्थ
9.	कार्यकारी निदेशक, कून्नूर और गुवाहाटी	
10.	उ.नि.चा.वि. सिलीगुड़ी	
11.	प्रणाली विश्लेषक	बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु